फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी : श्रीमती दुर्गाकूंवर   बनाम   विपक्षी : श्री भगवतसिंह व अन्य

स्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम   पत्रावली संख्या 34/24

कि

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 27.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार कानोड़ से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहें। तहसीलदार कानोड द्वारा पृथक से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया के पति के नाम को संशोधन किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीया के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का 71/440 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा उक्त हिस्सा क्रय किया गया। वक्त क्रय के समय सहवन से प्रार्थीया के पति का नाम श्री भगवतसिंह के स्थान पर भैरूसिंह अंकित हो गया जिससे उक्त भूमि का नामान्तकरण भी श्रीमती दुर्गाकूंवर पत्नी भैरूसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हो गया जबकि प्रार्थीया के पति का नाम भगवतसिंह राजपुत है तथा प्रार्थीया के सभी दस्तावेजो में भी प्रार्थीया के पति का नाम भगवतसिंह अंकित है जिससे प्रार्थीया द्वारा अपने पति का नाम प्रार्थनाग्रस्त भूमि में भैरूसिंह के स्थान पर भगवतसिंह अंकित किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम सालेडा पटवार हल्का सालेडा के वर्तमान खाता संख्या 265 आराजी न. 40 रकबा 0.9500 है. भूमि में दुर्गाकूंवर पत्नी भैरूसिंह राजपुत 71/440 सा. कलवल. गीताबाई पत्नी राधेश्याम 1879/13200, गीता बाई पत्नी स्व. राधेश्याम 1/10 जणवा, देउ बाई पुत्री मांगीलाल 43/13200 अहीर नारायणलाल पुत्र भूरा 571/2640 अहीर, पुष्पा पुत्री भूरा 43/2640 अहीर सा. दोलतपुरा भगवत सिंह पुत्र मदन सिंह 15/44 राजपुत निवासी कलवल दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थना पत्र द्वारा दिनांक 26.05.2008 को उप पंजीयक भीण्डर में जरिये विक्रय पत्र से भूमि क्रय की गई थी। जिसमें सहवन से विक्रय पत्र में दुर्गाकूंवर पत्नी भेरूसिंह निवासी कलवल तहसील वल्लभनगर दर्ज रेकर्ड हो गया। तहसीलदार कानोड द्वारा बताया कि विक्रय पत्र में पति का नाम गलत दर्ज होकर नामान्तरण से राजस्व रेकर्ड में भी गलत दर्ज हो गया, जबकि मेरे परिवार के समस्त राजकीय गैर राजकीय दस्तावेज में मेरे पति का नाम भेरूसिंह न होकर भगवत सिंह दर्ज रेकर्ड है। तहसीलदार कानोड द्वारा बताया कि प्रार्थीया के परिवार के दस्तावेज की जांच की गई जिसमें प्रार्थीया के पति का नाम भेरूसिंह के बजाय भगवतसिंह दर्ज रेकर्ड है।

प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति पेश की। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि विक्रय पत्र में ही प्रार्थीया के पति का नाम भैरूसिंह अंकित हो गया जो आगे जाकर नामान्तरण में भी गलत दर्ज हो गया जिससे स्पष्ट है कि जमाबंदी रोटेशन के दौरान राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। प्रार्थीया द्वारा अपने विक्रय पत्र में ही अपने पति का नाम गलत अंकित किया है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में रोटेशन के दौरान हुई लिपिकिय त्रुटियों को सुधारे जाने के प्रावधान है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू... अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर ... निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2026.01.15 14:54:09 IST
Reason: SelfAttested